

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए ई वी एम तैयार करने का कार्य तीन अप्रैल को किया जाएगा।
- द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाताओं से जागरूक मतदाता बनने की अपील की है।
- द्वीपसमूह में चुनावी पाम्प्लेट्स और पोस्टर छापते समय उस पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पता अच्छी तरह से अंकित करने को कहा गया है।
- भारतीय विमानन प्रधिकारण आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है।
- उन्नीस किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी-सिलेण्डर के दामों में कमी की गई है।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए ई वी एम तैयार करने का कार्य तीन अप्रैल को किया जाएगा। इस अवसर पर उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। आज दक्षिण अंडमान जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में ई वी एम का दूसरा रेन्डमाइजेशन का कार्य किया गया। निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में हुई रेन्डमाइजेशन के कार्य के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक बी.एन सिंह, ईवीएम और एमसीसी के नोडल अधिकारी विनायक छमाडिया, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस कार्य को आज अंजाम दिया गया। द्वीपों के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक बी.एन सिंह ने कहा कि ईवीएम का रेन्डमाइजेशन का कार्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराना इस बात का प्रमाण है कि द्वीपों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सम्पन्न हो सके। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विकसित ई एम एस सॉफ्टवेयर में ई वी एम रेन्डमाइजेशन का कार्य किया गया। आज आठ सौ सात बैलेट यूनिट, आठ सौ सात कंट्रोल यूनिट और आठ सौ अड़तालीस वी वी पैट का रेन्डमाइजेशन का कार्य किया गया और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। ई वी एम का अंतिम रेन्डमाइजेशन करने से पहले इस पूरी प्रक्रिया के लिए दो ट्रायल भी किया गया, ताकि उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि को इसकी अच्छी तरीके से जानकारी हासिल हो सके। ई वी एम की सूची भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को दिखाया गया।

<><><><><><><><>

द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाताओं से जागरूक मतदाता बनने की अपील की है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए के वाई सी ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करते समय दिए गए शपथ पत्र को भी सार्वजनिक करना होगा।

<><><><><><><><>

द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने सभी प्रिंटिंग प्रेस इकाईयों से चुनावी पाम्प्लेट्स और पोस्टर छापते समय उस पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पता अच्छी तरह से अंकित करने को कहा है। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए सभी से नियमों का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी इकाई द्वारा चुनावी पाम्प्लेट और पोस्टर तब तक नहीं छापे जा सकते, जब तक प्रकाशक की पहचान उनके हस्ताक्षर के साथ दो व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहचानने वाले लोगों के साथ प्रिंटर को इसकी प्रतिलिपि नहीं दी जाती। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से अनुरोध किया कि वे नियमों का पालन करें और चुनाव सामग्रियों के मुद्रण करते समय पूरी सावधानी बरतें। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस को सभी चुनावी पाम्प्लेट्स और पोस्टर पर प्रिंट लाईन पर प्रकाशक का नाम और पता छापने होंगे। छापे गए सामग्रियों को तीन अतिरिक्त कॉपी के साथ मुद्रण के तीन दिनों के भीतर इसे दक्षिण अंडमान के चुनाव व्यय निगरानी के नोडल अधिकारी के पास भेजना होगा। नियमों के उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस रद्द करने के साथ उन पर दंडनात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है।

<><><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>